

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2025

मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 1556(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
“(2) यह 31 मार्च, 2026 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी पार्ट(2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5406(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2436(अ), तारीख 30 मई, 2022, का.आ. 5497(अ), तारीख 25 नवंबर, 2022, का.आ. 2335(अ), तारीख 23 मई, 2022 और का.आ. 928(अ) तारीख 27 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 1st April, 2025

Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2025

S.O. 1556 (E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. (1) This Order may be called the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2025.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —
“(2) It shall come into force on the 31st day of March, 2026”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-TECH.-CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5406(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2436(E), dated the 30th May, 2022, S.O. 5497(E), dated the 25th November, 2022, S.O. 2335(E), dated the 23rd May, 2023 and S.O. 928(E), dated the 27th February, 2024.